



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 115 राँची, सोमवार,

21 मार्च, 2022 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

16 मार्च, 2022

संख्या-05/उप.फो./CPA-2019/03/2020/खा.आ.-808,--उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
(2019 का 35) एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के आलोक में निम्नलिखित अभियर्थियों को उनके नाम के सामने अंकित जिला आयोग में सदस्य (महिला) को पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है:-

(महिला सदस्य)

क्र. सं.	जिला आयोग का नाम	नाम	जन्म तिथि	पता/मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5
1	पलामू	श्रीमती आशा दूबे	16-07-1968	C/o S.D Prasad, VIP Colony Polytechnic gate, Bekar bandh, Dhanbad, Jharkhand, Pin- 828130 Mobile No.- 7004945892 e-mail-ashadubey1671968@gmail.com
2	लोहरदगा	श्रीमती पूनम सुनीता बारा	03-10-1960	Cheshire Home Road, Bariatu, Ranchi Pin- 834009 Mobil- no. 8340104838 e-mail- punambarajnv@gmail.com

2. संबंधित पद पर योगदान के पूर्व चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित जिला आयोग के सचिव-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत ही चयनित अभ्यर्थी अपना योगदान समर्पित करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान गड़बड़ी पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं इस पर किसी तरह का विचार नहीं किया जायेगा।

3. जिला आयोग के सदस्यों को देय वेतन का निर्धारण खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-842, दिनांक 12.03.2021 के आलोक में किया जायेगा।

4. जिला आयोग के उपर्युक्त नियुक्त सदस्यों को देय वेतन उनके योगदान की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

5. चयनित अभ्यर्थी को योगदान से पूर्व संलग्न अनुलग्नक-I में यथाङ्गित शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिसे सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया गया हो, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

6. चयनित अभ्यर्थी को योगदान के पूर्व संलग्न अनुलग्नक-II में जिला आयोग के सदस्य पद के लिए शपथपत्र एवं अनुलग्नक-III में जिला आयोग के सदस्य पद हेतु गोपनीयता का शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी योगदान से पूर्व एक शपथपत्र प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे जिनसे सदस्य के रूप में उनके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

8. जिला आयोग के सदस्यों द्वारा त्याग पत्र उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 की कंडिका-7 के अध्यक्षीन होगी ।

9. जिला आयोग के सदस्यों को पद से हटाये जाने की प्रक्रिया उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 की कंडिका-8 के अध्यक्षीन होगी ।

10. जिला आयोग के सदस्यों के दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता की जाँच की प्रक्रिया उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 की कंडिका-9 अध्यक्षीन होगी ।

11. जिला आयोग के प्रत्येक सदस्य 04 (चार) वर्ष की अवधि अथवा 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे ।

12. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह (07 दिन) के अन्दर नवनियुक्त सदस्यों (महिला) द्वारा अपने पद पर अनिवार्य रूप से योगदान समर्पित किया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ज्योति कुमारी झा,
सरकार के अवर सचिव ।
